प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

08 अगस्त 2023

सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राजस्व विभाग- अप्रत्यक्ष कर -सीमा शुल्क संसद में प्रस्तुत

वर्ष 2015-16 से 2019-2020 की अवधि को शामिल करते हुए संघ सरकार (राजस्व विभाग –अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क) और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत विदेशी व्यापार महानिदेशक पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम (आईसीईएस) 1.5 की आईटी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2023 की संख्या 14 आज संसद प्रस्तुत की गई।

लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र का उद्देश्य आयात और निर्यात मॉड्यूल की कार्यात्मकता, अन्य आईटी अनुप्रयोगों जैसे डीजीएफटी, सेज, बैंक, आरबीआई आदि के साथ इंटरफेस और आईटी अभिशासन के मुद्दे जैसे - संगठन और प्रबंधन, आईटी शासन और प्रबंधन, और परिवर्तन प्रबंधन की प्रभावशीलता की जांच करना है। कार्याक्षमताओं की जांच के लिए, लेखापरीक्षा का ध्यान वर्ष 2015 से 2020 के दौरान आईसीईएस अनुप्रयोग में जोड़े गए प्रमुख परिवर्तनों / नई कार्याक्षमताओं पर अधिक था।

इस प्रतिवेदन को चार अध्यायों में विभाजित किया गया है। अध्याय 1 भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई सिस्टम (आईसीईएस) का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है और इस 'आईसीईएस 1.5 की आईटी लेखापरीक्षा' के आयोजन हेतु उपयोग किए जाने वाले लेखापरीक्षा उद्देश्यों, क्षेत्र, नमूना, लेखापरीक्षा मानदंड और लेखापरीक्षा पद्धति को इंगित करता है। अध्याय 2, 3 और 4 इस आईटी लेखापरीक्षा से संबंधित लेखापरीक्षा परिणामों, निष्कर्षों और सिफारिशों को शामिल करते हैं। इस प्रतिवेदन में उप-पैराग्राफ सहित 24 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां और 16 सिफारिशें शामिल हैं। 20 अभ्युक्तियों के लिए प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 15 को पूर्ण रूप से/आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है और पांच को स्वीकार नहीं किया गया है। चार लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के संबंध में कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।

प्रतिवेदन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिणाम हैं:

कोर भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई सिस्टम

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

(क) आईसीईएस आयात मॉड्यूल में कुछ सत्यापन नियंत्रणों की कमी के परिणामस्वरूप (i) विलंब शुल्क गलत तरीके से उदग्रहित, संगृहीत और छोड़ दिया गया, (ii) अधिसूचना 46/2011-सीमा शुल्क के तहत शुल्क का कम/अधिक उदग्रहण, (iii) आयात के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली का कार्य चालन, (iv) आवक प्रविष्टि की तिथि से पहले दर्ज बीई के मामले में शुल्क लगाने के संबंध में आईसीईएस में नियंत्रण की कमी और (v) बीई स्तर और वस्तु स्तर पर उद्गम देश समान नहीं है,

(ख) आईसीईएस निर्यात मॉड्यूल में सत्यापन की कमी के कारण (i) आरआईटीसी (निर्यात सत्यापन) के साथ डीबीके की क्रम संख्याओं का गैर संरेखीकरण (ii) निर्यात की गई वस्तुओं के ऋणात्मक एफओबी मूल्य की स्वीकृति,

(ग) सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 74 के तहत शिपिंग बिलों और प्रतिअदायगी दावों का आंशिक स्वचालन,

(घ) आरएमएस निर्यात मॉड्यूल के लिए निकासी पश्च लेखापरीक्षा के कार्यान्वयन में देरी,

(ङ) आईजीएम को बंद करने का गैर-स्वचालन,

(च) प्रतिदाय प्रक्रिया का गैर-स्वचालन,

(छ) दोहरे भुगतान के मामले में शुल्क का स्वतः वापस न होना,

(ज) समय विमोचन अध्ययन (टीआरएस) समिति के प्रतिवेदन 2022 की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर प्रतिक्रियाएं प्रतीक्षित थी।

अन्य अनुप्रयोगों के साथ इंटरफेस

आईसीईएस को बैंकों के साथ जोड़ने, आरबीआई निर्यात बकाया विवरण (एक्सओएस) डेटा/सावधानी सूची को आईसीईएस के साथ साझा करने और सीमा शुल्क आईसीईएस के साथ एसईजेड ऑनलाइन के एकीकरण, के संबंध में उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य हितधारकों के आईटी अनुप्रयोगों का आईसीईएस के साथ इंटरफेस पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है।

आईटी अभिशासन और प्रबंधन

लेखापरीक्षा में आईसीईएस अनुप्रयोग के शासन और प्रबंधन में कमियां देखी गईं, विशेष रूप सेः

i) सॉफ्टवेयर आवश्यकताओं विनिर्देश और सॉफ्टवेयर डिजाइन दस्तावेज़ (एसआरएस) के (एसडीडी)अदयतन,

ii) उपयोगकर्ता नियमपुस्तिका-ओं का अदयतन न करने,

iii) निर्देशिका परिवर्तन प्रबंधन,

iv) संरचनात्मक परिवर्तन प्रबंधन और

v) सहायता केंद्र और अंतिम उपयोगकर्ता सहायता प्रणाली में।

सिफारिशेः

1. मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विलंब शुल्क लगाने, संग्रह करने और माफ करने के संबंध में आईसीईएस में आवश्यक सत्यापन जांच लागू की जाए, विधिवत मैप की जाए और सही तरीके से काम किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विलंब शुल्क छोड़ने के मामले में, कारण भी दर्ज किए गए है।

(पैराग्राफ 2.2.1)

2. मंत्रालय को आईसीईएस में आवश्यक सत्यापन जांच सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि सीमा शुल्क दरें छूट अधिसूचनाओं के साथ पठित देश कोड के आधार पर सही ढंग से परिलक्षित हों, न कि केवल स्व-घोषणा पर आधारित।

(पैराग्राफ 2.2.2)

3. मंत्रालय को आईसीईएस में उचित सत्यापन सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन मामलों में जोखिम प्रबंधन प्रणाली द्वारा बिल ऑफ एंट्री को जांच के लिए लिया जाता है, जांच प्रतिवेदन से संबंधित फील्ड शून्य नहीं होना चाहिए।

(पैराग्राफ 2.2.3)

4. मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिसूचनाओं को समय पर और अनिवार्य रूप से प्रभावी तिथि से पहले अद्यतन किया जाए। डीएमएस साइटों द्वारा अपडेशन में देरी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और देरी के मामलों में आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। डीएमएस साइटों को मौजूदा एसओपी का पालन करना चाहिए और इसे डीजी (सिस्टम) द्वारा सत्यापित और सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(पैराग्राफ 2.2.4)

5. मंत्रालय को आईसीईएस निर्यात मॉड्यूल में आवश्यक सत्यापन सुनिश्चित करना चाहिए ताकि बीमा और माल ढुलाई में कटौती के बाद भी एफओबी मूल्य नकारात्मक न हो।

(पैराग्राफ 2.3.2)

6. निकासी पश्च लेखापरीक्षा (पीसीए) के लिए शिपिंग बिलों के चयन के लिए निर्यात में आरएमएस को जोखिम आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके पारदर्शिता और लक्ष्य बढ़ाने के लिए जल्द से जल्द चालू किया जाना चाहिए।

(पैराग्राफ 2.5)

7. विनिमय दर के दैनिक अद्यतन के लिए मॉडयूल को जल्द से जल्द क्रियान्वित किया जाए।

(पैराग्राफ 2.6)

8. मंत्रालय आवश्यक कदम उठाए ताकि आईसीईएस में दर्ज आईजीएम इलेक्ट्रॉनिक रूप से बंद कर दिया जाए और सभी सामानों का विधिवत लेखांकन किया जाए। सभी खुले आईजीएम को मैन्युअल रूप से बंद करने के प्रयास भी किए जाएं। मंत्रालय को आईजीएम को बंद करने के लिए एक समय सीमा भी तय करनी चाहिए और निर्धारित करनी चाहिए क्योंकि अनुचित देरी / गैर-समाधान राजस्व रिसाव के जोखिम से भरा है।

(पैराग्राफ 2.7)

9. मंत्रालय प्रतिदाय को संकलित और संसाधित करने के लिए ऑनलाइन कार्यप्रवाह रखने पर विचार कर सकता है ताकि विभाग इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन बीई पर नज़र रखने में सक्षम हो, जिनके सापेक्ष प्रतिदाय दिया गया है। इससे प्रतिदाय मामलों की निगरानी को अधिक कुशल, प्रभावी और पारदर्शी हो जाएगी।

(पैराग्राफ 2.8)

10. मंत्रालय समयबद्ध तरीके से आईसीईएस और आइसगेट के बीच चालान/वेयरहाउस विवरण साझा करने के लिए एपीआई के विकास में तेजी ला सकता है।

(पैराग्राफ 3.2)

11. मंत्रालय निर्यात आय प्राप्ति की प्रभावी निगरानी के लिए चूक वाले मामलों की पहचान करने के लिए सीबीआईसी द्वारा तैयार की गई सावधानी सूची के साथ आरबीआई एक्सओएस डेटा के साथ मानचित्रित/प्रति-सत्यापित किया जा सकता है।

(पैराग्राफ 3.3)

12. मंत्रालय को सेज संचालन (एक्सिम और डीटीए लेन-देन दोनों) की बेहतर निगरानी और सेज में व्यापार सुगमता के लिए सेज ऑनलाइन को आईसीईएस के साथ यथाशीघ्र एकीकृत करना चाहिए।

(पैराग्राफ 3.4)

13. एसआरएस और एसडीडी को तत्काल अद्यतन करने के अलावा, मंत्रालय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि एसआरएस और एसडीडी को नियमित अंतराल पर अद्यतित रखा जाए ताकि अनुप्रयोग में किए गए सभी महत्वपूर्ण परिवर्तनों को दर्शाया जा सके।।

(पैराग्राफ 4.1.1)

14. आवश्यकताओं के संचय से बचने के लिए परिवर्तनों के अनुरूप उपयोगकर्ता नियम-पुस्तिका का अद्यतन नियमित रूप से समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए।

(पैराग्राफ 4.1.2)

15. मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी परिवर्तन प्रबंधन के साइन ऑफ के समय प्रोटोकॉल का ठीक से और पूरी तरह से पालन किया जाए। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे परिवर्तनों के परीक्षण और अनुमोदन सहित सभी परिवर्तनों को ठीक से प्रलेखित किया गया हो।

(पैराग्राफ 4.2.2)

16. मंत्रालय निर्धारित करे:

(क) शिकायतों को निपटान करने या आगे बढ़ाने के लिए समय सीमा,

(ख) टिकटों के उपयोगी/उपयुक्त विवरणों के साथ समाधान के लिए औसत समय, जिसमें अनावश्यक रूप से लंबा समय लगता है, को दर्ज किया जाए और निगरानी की जाए।

(पैराग्राफ 4.3)